13-12-2019	पत्रावली आज पेश हुई पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। आज श्री उमेशदास ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त प्रकरण में कुल 17 ऊटों को सुपुर्दगी नामे पर मुझ प्रार्थी को सुपुर्द करने का आदेश श्रीमान के न्यायालय से जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी वर्तमान में कुल 17 ऊंटों को अपने पास व्यवस्थित रूप से रखकर पालन पोषण करने में असमर्थ है। उक्त प्रकरण में मेंरे द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को विज्ञो करता हूँ। मुझ प्रार्थी को सुपुर्दगी पर 17 ऊंटों को दिये जाने के आदेश निरस्त फरमावे। अधिवक्तागण प्रार्थी जीवदया गौशाला, राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दौहराते हुए कथन किया है कि थानाधिकारी पुलिस थाना सायला द्वारा दिनांक 23.11.2019 को कुल 17 ऊंटों को जब्त किये हुए जीवदया गौशाला भीनमाल में रखरखाव हेतु जमा करवाना चाहने पर हमारी गौशाला द्वारा दिनांक 23.11.2019 को जमा कर प्राप्ति रशीद जारी की गई हैं। तब से आज तक ऊंटों का रखरखाव, ईलाज व चारे पानी की व्यवस्था नियमित रूप से हमारे द्वारा ही की जा रही है। हमारी गौशाला में गायों के साथ–साथ सांड, भैसें, बकरे, भेडे, ऊंटो आदि का भी पालन पोषण कई वर्षो से किया जा रहा है। दिनांक 23.11.2019 को जमा किये गये ऊटों को प्रकरण संख्या 31/2019 लियाकत खां बनाम सरकार में दिनांक 11.12.2019 को सुपुर्दगीनामे पर स्थानीय प्रतिनिधि उमेश दास पुत्र मोहन दास जाती वैष्णव निवासी गोडीजी मंदिर के पास जालोर को सुपुर्द किये जाने का आदेश हुआ है। जबकी उमेश दास के पास पशुओं को रखने हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है तथा न ही सक्षम है। हमारी गौशाला न्यायालय के अग्रिम आदेश तक गौशाला के खर्चे पर रख रखाव हेतु सहमत है। इन ऊटों को व्यवस्थित रूप से रखने में श्री उमेश दास द्वारा असमर्थता व्यक्त करते हुए सुपुर्दगी आदेश को निरस्त करवाने का भी आवेदन पत्र आज प्रस्तुत किया है। अतः अग्रिम आदेश तक 17 ऊटों को हमारी गौशाला में ही यथावत रखे जाने के आदेश फरमावे। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित सरकारी अधिवक्ता द्वारा बहस के द्वारा कथन किया गया कि जब्तसुदा ऊटों का बिना सक्षम अधिकारी से परमिट प्राप्त किये ही परिवहन किया जाने पर थानाधिकारी सायला द्वारा अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यान निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 व 11(1)(डी) पशु निर्दयता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्यवाही कर जब्तसुदा ऊँटो को श्री जीवदया गौशाला भीनमाल में जमा करवाये गये है। उक्त गौशाला रजिस्टर्ड संस्था है। जहां पर पशओं का रख–रखाव नियमित एवं व्यस्थित रूप से हो रहा है साथ ही आदेश दिनांक 11.12.2019 को 17 ऊंटो की सुपुर्दगी हेतु श्री उमेश दास के नाम से जारी किया गया था। श्री उमेश दास द्वारा आज प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किये गये पत्रादि को विज्ञोवल करते हुए सुपुर्दगी आदेश को निरस्त करवाने का भी निवेदन किया है कि ऐसी स्थिति में पूर्व से ही श्री जीवदया गौशाला भीनमाल में सुपुर्द किये गये ऊंटो को गौशाला में अग्रिम आदेश तक यथावत रखा जाना उचित होने से यथावत के आदेश फरमावे। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जब्तसुदा ऊंट हमारे द्वारा श्री बजरंग पशु मेला पंचायत समिति सिणधरी राजस्थान सरकार पशुमेला सिणधरी जिला बाड़मेर से खरीद किये हुए है। ऊंट खरीदने की रशीदे भी हमने पेश की है। बिना परमीट के ऊंटो का परिवहन करने के आधार पर पुलिस द्वारा ऊंटो को जब्त कर श्री जीवदया गौशाला भीनमाल सुपुर्द किये हैं। जहां पर ऊंटो का रखरखाव एवं पालन पोषण व्यस्थित रूप से नहीं होने के कारण बिमारी की हालत में हैं स्थानीय	

जिला कलेक्टर,जालोर

व्यक्ति जिन्हे सुपुर्दगी पर रीलीज करने की शक्तियां जिला कलक्टर को होने से हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 11.12.2019 को जमानत नामे पर स्थानीय प्रतिनिधि को सुपुर्दगी के आदेश जारी हुए हैं। चुंकी स्थानीय प्रतिनिधि श्री उमेश कुमार सुपुर्दगार द्वारा आज प्रार्थाना–पत्र स्वयं के दस्तावेजों को विड्रोवल करते हुए सुपुर्दगी आदेश निरस्त करवाने का कथन किया है। अतः स्थानीय व्यक्ति को सुपुर्द किये जाने के आदेश को यथावत रखावे तांकि उमेश कुमार के स्थान पर श्रीमान के आदेशानुसार अन्य स्थानीय व्यक्ति को सुपुर्द करवाने हेतु आदेश कराने पर जमानतनाम व सुपुर्दगीनाम प्रस्तुत किया जा सके। प्रार्थी अध्यक्ष श्री जीवदया गौशाला भीनमाल द्वारा प्रस्तुत किये गये रिव्यु प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन भी किया। जिसके अनुसार थानाअधिकारी सायला द्वारा सी.आर. नम्बर 199/19 सरकार बनाम लियाकत खां वगैरा में अभियुक्तो के विरूद्ध राज्य पशु ऊटो को निर्देयता पूर्वक क्षमता से ज्यादा ठूस–ठूस कर खचाखच ट्रक में भरे जाने एवं राज्य पशु ऊंट का बिना परमिट के अन्य राज्य में परिवहन करना पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यान निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 व 11(1)(डी) पशु निर्दयता निवारण अधिनियम 1960 में प्रकरण दर्ज किया गया है। इस न्यायालय में प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र संख्या 31/2019 लियाकतखां बनाम सरकार में दिनांक 11.12.2019 को निर्णय पारीत कर स्थानीय प्रतिनिध श्री उमेश दास पुत्र मोहनदास उम्र 27 वर्ष जाति वैष्णव निवासी गोड़ीजी मंदिर के पास जालोर को जमानत व सुपुर्दगीनामें कुल 17 ऊंट सुपुर्द किये जाने का आदेश जारी किया गया। इसी आदेश को रिव्यु हेतु प्रार्थी अध्यक्ष जीवदया गौशाला भीनमाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 17 ऊंटो यथावत गौशाला में ही रखवाये जाने का कथन किया है। साथ ही सुपुर्दगार श्री उमेशदास द्वारा आज स्वयं द्वारा प्रस्तुत किये गये पत्रादि को विड्रोवल करते हुए सुपुर्दगी आदेश दिनांक 11.12.2019 निरस्त कराने का भी निवेदन किया है। चूंकी ऊंट एक जिवन्त पशु है जिसका पालन पोषण किये जाने हेतु सुपुर्दगी आदेश श्री उमेशदास के नाम से जारी किया गया था लेकिन श्री उमेश दास द्वारा आज स्वयं के पत्रादि विड्रोवल कर सुपुर्दगी आदेश निरस्त करने का निवेदन करने से उक्त सुपुर्दगी आदेश स्वत ही निरस्तनीय है। वर्तमान में श्री जीवदया गौशाला भीनमाल में एक रजिस्टर्ड संस्था है जहां पर पूर्व से ही पशुओं का नियमित रूप से व्यवस्थित रखरखाव किया जा रहा है एवं गौशाला स्वयं के खर्चे पर उक्त ऊंटो को न्यायालय के अग्रिम आदेश तक निशुल्क रखने हेतु सहमत है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त 17 ऊंटो को जीवदया गौशाला भीनमाल में यथावत रखरखाव हेतु सुपुर्दगी पर ही रखा जाना उचित प्रतित हो रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुपुर्दगार श्री उमेशदास द्वारा सुपुर्दगीनामा विड्रोवल करने से इस न्यायालय के मुकदमा संख्या 31/2019 लियाकत खां बनाम सरकार में पारीत आदेश दिनांक 11.12.2019 स्वतः ही शुन्य हो जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुलिस थाना सायला द्वारा उक्त प्रकरण में 17 ऊटों को जीवदया गौशाला भीनमाल में सुपुर्द किये गये को अग्रिम आदेश तक यथावत रखे जाने का आदेश पारीत किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलक्टर, जालोर